पत्रांक –22/सी० –30/2011सा०.....66...../

21
25.1.12

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 6.1.12

विषयः– राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण/समायोजन के संबंध में एक अवसर (one time measure) के तहत निर्णय लेने तथा अवैध रूप से नियुक्त दैनिक कर्मियों को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण/समायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा समायोजित नहीं हो सकने वाले दैनिक कर्मियों को कार्यमुक्त करने हेतु दिशा निदेश जारी किये जाते रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी के आधार पर कर्मियों से कार्य लेने की परम्परा को समाप्त करने के उद्देश्य से संकल्प संख्या 5940 दिनांक 18.06.1993 के तहत राजकीय उपक्रमों एवं सरकार के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्ति में अधिमानता देकर समायोजित करने तथा 01.08.1985 के बाद नियुक्त दैनिक वेतनभोगियों की सेवा समाप्त करने का निदेश दिया गया। पुनः संकल्प संख्या 489 दिनांक 10.05.2005 के द्वारा राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की नियुक्ति संबंधी कट–ऑफ डेट (01.08.1985) को पुनर्निर्धारित कर 11.12.1990 किया गया तथा संकल्प संख्या–639 दिनांक 16.03.2006 के तहत दिनांक– 11.12.90 के पूर्व से कार्यरत/कार्यरत रहे दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति/समायोजन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी। उक्त संकल्प की कंडिका– 4 के तहत दिनांक– 11.12.1990 के बाद कार्य पर रखे गये सभी प्रकार के दैनिक वेतनभोगियों को दिनांक– 16.03.2006 से एक माह के अन्दर हटा दिये जाने का निदेश दिया गया। इसके बावजूद विभिन्न विभागों/कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के कार्यरत रहने की सूचना प्राप्त हो रही है एवं उनके समायोजन के संबंध में वाद भी दायर किये जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी.सं०–16/2010 (विशेश्वर सिंह–बनाम–बिहार राजय एवं अन्य) में दिनांक– 06.09.2011 को पारित न्यायादेश में इस स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए निम्न टिप्पणी की गई है– "It is a matter of serious enquiry how a person appointed on daily wage was allowed to continue for such a long years and has now raised a claim for pensionable service. His predicament has also to be appreciated. That he is not entitled to a mandamus from the Court of Law is one

aspect of the matter, those who facilitated this state of affairs is another aspect of the matter.

The Court, directs the Principal Secretary, Department of General Administration, to hold a thorough enquiry into this aspect and recommend to the State Government appropriately against all concerned, whosoever they may be, within a maximum period of four months from the date of receipt/presentation of a copy of this order before him."

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि विभाग में उपरोक्त निर्देशो के उपरांत की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाय। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया जाय कि अभी भी यदि कोई दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं। कृपया शीघ्र

विश्वासभाजन

5.11.14

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।